REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

"मुझे भी जीने का अधिकार है । स्त्री भ्रूण हत्या पर एक अभ्यास"

Darshanaben M. Kotecha
M.A., M.Ed., M.Phil.

❖ सारांश :

स्त्रीसृष्टि की एक अदभूत रचना है । भारत का संविधान स्त्री–पुरूष को समान अधिकार देने की बात करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में अभी भी स्त्रीयो को निम्न दर्जा दिया जाता है, और वे कई अत्याचार का भोग बन रही है । हमारे समाज में "स्त्रीभृण हत्या" की जडे पूरी तरह से फैल चुकी है । भ्रूण के अंदर पल रही बच्ची की आवाज कोई सुन नहिं पाता और उसकी हत्या की जाती है । ये बात इसका सबूत देती है कि औरतो को समाज में जीने के लिये नई–नई चुनौतीयों का सामना करना पडता है । स्त्रीभ्रूण हत्या जैसे "क्राईम" ने महिलाओं को समाज में उनके जीने के अधिकार से वंचित कर दिया है ।

समाज में वंशवृद्धि को आगे ले जाने के लिये पुत्र का होना आवश्यक समजा जाता है, इसकी वजह से लडकियों की संख्या कम हो गई है । हमारे समाज में माँ को शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार सहन करने पडते है, जो इन अत्याचारों को सहन नहीं कर सकती वो इसका शिकार बन जाती है । जो महिलायें इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती है उसको घर से निकाल दिया जाता है । इन अत्याचारों का एक कारण है – निरक्षरता ।

युवापिढी के विचारो को जानने के लिये दो बी.एड. कॉलेज श्रीमति मिनाक्षीबहन शांतिभाई दवे कॉलेज और जोयानंदा कॉलेज में स्वनिर्मित प्रश्नावली के आधार पर अभ्यास किया था, उस अभ्यास पर से यह निष्कर्ष निकला कि – समाज में समान अधिकार की बात की जाती है, लेकिन दिया नहि जाता । आज भी हमारा समाज पुरूषप्रधान ही है । कई पुरूष वर्ग का यह विचार है कि स्त्री सिर्फ घर को ही संभाल सकती है । कई महिलाओं ने बताया कि आज भी उन्हें कई अत्याचारों को सहन करना पडता है । इसलिए इस समस्या को जडमूल से नष्ट करने के लिए युवापिढी के विचारों में सुधार लाना अति आवश्यक है ।

देश के विकास हेतु "स्त्रीभ्रूण हत्या" जैसे दूषण को नष्ट करना जरूरी है और तभी स्त्री–पुरूष को समान अधिकर देने के विचार को आत्मसात किया जा सकता है । स्त्री को समाज में गर्व से जीना का अधिकार हालत में मिलना चाहिए ।

❖ प्रस्तावना :

"हाय ! अबला तेरी यही कहानी ।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।।"

पंक्तियो द्वारा बरसा से समज में नारी को अबला का प्रतीक देकर मानो उसकी उपेक्षा कर रहा है ।

सृष्टि का सर्जन और विसर्जन होना एक प्राकृतिक घटना हे । किंतु समजादारी पूर्वक, सचेत रहकर इस सृष्टि के परिणामों को डाँवाडोल करना (इन बेलेन्स करना) 21वी सदी का सबसे बडा गुनाह है । पुलिस की

भाषा में उसे "क्राईम" कहा जाता है । इसी प्रकार का क्राईम आज समाज में हो रहा है जिसे "स्त्री भ्रूण हत्या" नाम दिया गया है ।

गुजरात में इस इनबेलेनस को बेलेन्स करने हेतु पहले के रूप में सूरत में 01–01–2006 पाटीदार समाज के अग्रणी श्री माथुरभाई सवाणी – सौराष्ट्र जल क्रांति के जन्मदाता, श्री गोविंदभाइ धोलकिया आदि अनेक अग्रणी लोगों के सानिध्य में पाटीदार समज के बारह लाख लोगोने सामूहिक रूप से स्त्री भ्रूण हत्या को लिए शपथ लेकर एक महान कार्य करने का दिपक प्रज्वलित किया हे ।

समस्या का प्रस्तुतीकरण :

"मुझे भी जीने का अधिकार है । स्त्री भ्रूण हत्या पर एक अभ्यास"

"I have right to live – A study on Female Feticide"

❖ पारिभाषिक शब्दावली :

१. स्त्री भ्रूण हत्या :

स्त्री के गर्भ का परिक्षण करके, मालूम हो कि गर्भ में कन्या है तो कन्या भ्रूण का गर्भपात कर दनो इसे स्त्रीभ्रूण हत्या कहते है ।

❖ शोध समस्या के उद्देश्य :

प्रस्तुत संशोधन में निम्नलिखित उद्देश्य सामिल किये गये है ।

१) शिक्षा में लैगिंक असमानता का कारण स्त्रीभ्रृण हत्या ।
२) सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लोगो को स्त्रीभृण हत्या के परिणाम के बारे में जागृत करना ।
३) स्त्रीभृण हत्या के प्रति युवा धन के मानसिक स्तर में बदलाव लाना ।
४) समाज में स्त्री के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ।

❖ शोध समस्या के प्रश्न :

– शिक्षा में लैगिंक असमानता का कारण स्त्रीभ्रूण हत्या है जाँच करना ।
– विश्व के सर्वांगीण विकास में दूषण रूप स्त्रीभ्रूण हत्या को नाबूद करना ।

❖ शोध समस्या का परिसीमन :

समस्या की विस्तृतता को ध्या नमें रखते हुए अध्ययन को सरल एवं प्रभावी बनाने के हेतु समस्या क्षेत्र का परिसीमन करना परमावश्यक है, जिससे शोध की उपादेयता के साथ वैद्यता, विश्वसनीयता भी बढती है, अतः संशोधन कर्ता ने भी अध्ययन की प्रकृति एवं सीमा को ध्यान में रखते हुए समस्या के क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रो कें अंतर्गत समाविष्ट किया है ।

१) शिक्षा की समाजशास्त्रीय आधारशीला
२) शिक्षा का तत्वज्ञान
३) ज्ञान विज्ञान टेक्नोलोजी

शोध में प्रयुक्त विधि :

शैक्षिक अनुसधांन की अनेक वैज्ञानिक विधियाँ है । कोई भी विधि अन्य विधि से श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती क्योंकि प्रत्येक विधि की एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षणविधि प्रयुक्त की गई है ।

❖ जनसंख्या एवं न्यायदर्श :

प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में जामनगर की बी.एड. कॉलेज के तालीमार्थीओ को चयनित किया गया है ।

प्रस्तुत अनुसंधान में न्यायदर्श के रूप में जामनगर शहर की श्रीमति मीनाक्षीबेन शांतिभाई दवे कॉलेज ओफ अेज्युकेशन – लाखाबावल (जामनगरा बी.एड. कॉलेज के ५० तालीमार्थी एवं जोयानंद बी.एड. कॉलेज के ५ तालीमार्थीओं का यादच्छिक न्यायदर्श विधि के द्वारा चयन किया गया था । जिसे निम्नांकित रूप से सारणीबद्ध किया गया है ।

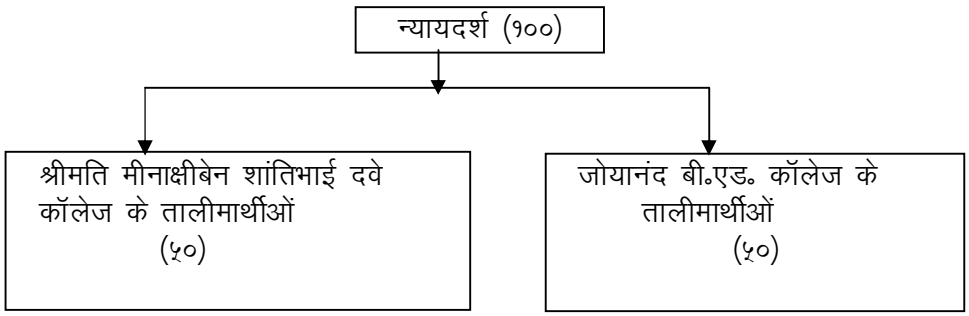

❖ शोध समस्या का औचित्य :

हर शोध अध्ययन भिन्न एवं विशेषरूप से महत्वपूर्ण होता है । इस अध्ययन के उद्देश्यो को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन का औचित्य निम्नलिखित है ।

१. शिक्षा में लैगिक असमानता के कारण स्त्रीभ्रूण हत्या के बारे में जानना और समजना ।
२. समाज में स्त्री के प्रति हकारात्मक दृष्टिकोण लाना ।
३. समाज के नागरिक के विचारो में स्त्री सशक्तिकरण की प्रेरणा जागृत हो ।
४. समाज में स्त्री शिक्षा का प्रचार – प्रसार बढे ।
५. गुजरात का युवाधन अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को पहचान कर सामाजिक संस्थाओ के साथ स्त्रीभ्रूण हत्या को रोकने में कदम मिलाये ।

❖ शोध समस्या की समाएँ :

प्रस्तुत अनुसंधान मिनलिखित सीमांकनो का स्वीकार करके लिया गया है ।

१. प्रस्तुत अनुसंधान में सिर्फ शहरी क्षेत्र ही समाविष्ट किया गया है ।
२. जामनगर शहर की श्रीमति मिनाक्षीबहन शांतिभाई दवे कॉलेज के ५० तालीमार्थी और जोयानंदा कॉलेज के ५० तालीमार्थीओं को ही न्यायदर्श के रूप में लिया गया था ।
३. दत्तो के संकलन के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली एक ही उपकरण का प्रयोग किया गया था ।

❖ शोध उपकरण :

आवश्यक दत्तों के संकलन हेतु कतिपय उपकरणों की आवश्यकता होती है । अतः शोधकर्ता ने स्वनिर्मित उपकरण के रूप में प्रश्नावली का निर्माण किया है ।

❖ दत्तो का संकलन :

प्रस्तुत अनुसंधान में प्रश्नावली पर "हा" और "ना" दो विकल्प दिये गये थे । उपकरण के प्रापत दत्तो को संकलित करके "हा" विकल्प के लिए "१" क्रमांक तथा "ना" विकल्प के लिए "०" क्रमांक देकर क्रमांकन लिया गया था ।

परिशिष्ट–२ में संकलित एवं वर्गीकृत दत्तो का सारणीबद्ध किया गया है ।

प्रश्नावली पर के प्राप्तांको का विश्लेषण करके प्रतिशत क्रमांक प्राप्त किये गये थे ।

❖ शोध परिणाम

प्रश्नावली पर प्राप्तांको के विश्लेषण के आधार पर स्त्रीभ्रूण – अभ्यास निम्नांकित है ।

१. "हा" विकल्प में प्राप्त प्रतिशत क्रमांक ३६.१७% है ।
२. "ना" विकल्प में प्राप्त प्रतिशत क्रमांक ३०.८३% है ।

❖ शोध निष्कर्ष :

परिणाम के आधार पर निम्नांकित निष्कर्ष निकला है ।

१. स्त्रीओं को समाज में पूरा मान – सन्मान मिलना आवश्यक है ।
२. स्त्री शिक्षा को बढावा देना जरूरी है ।
३. स्त्रीभ्रूण हत्या को रोकना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, ये जागरूकता लाना आवश्यक है ।

❖ शोध फलितार्थ :

– सरकार के प्रयत्नो में युवाधन का सामिल करके स्त्रीभ्रूण हत्या को नाबूद कर सकते है ।
– पाठयपुस्तक में एसे विषय को रखकर तालीमार्थीओं को इस दूषण को हटाने केलिये जागरूक कर सकते है ।
– माता–पिता को गर्भपात के समय बेटी की जो करूण हालत होती है उसे माध्यमों के द्वारा अवगत कराके बेटी को जीने का हक दिला सकते है ।

संदर्भग्रंथ सूचि :

१. M. Hilaria Soundari – Right to be Born : A study on Femicide, EADI General Conference, Geneve 24-28 June 2008.
२. डॉ. डी. ओ. उचाट – "माहिती पर संशोधन व्यवहारो", प्रथम आवृति, सौराष्ट्र युनिवर्सिटी, शिक्षणविभाग, राजकोट, मार्च–२००४.
३. रावल नटुभाई और अन्य – (२००६) हिन्दी विषयवस्तु, नीरव प्रकाशन – अहमदावाद ।
४. डॉ. अनिरुद्धसिंह गोहिल – "संवाद–कलावृंद" प्रथम आवृत्ति, गुजराती भाषा–साहित्य विभाग, जामनगर. पृष्ठ नं. ४५, वर्ष–२००६–१०.

Darshanaben M. Kotecha
M.A., M.Ed., M.Phil.